


क्रमांक:प12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट

निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।



जयपुर, दिनांक: 03-01-17

विषय:- आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के नामों को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करने तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति सत्यापन दल द्वारा सम्बन्धित विद्यालय को सत्यापन दिवस को ही उपलब्ध करवा दी जाती है। यह रिपोर्ट विद्यालय द्वारा अपने लॉगिन से ऑनलाइन प्रविष्टि की जाती है। जिन विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं हो पाती है उन विद्यालयों के निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिका निःशुल्क प्रवेश से वंचित हो जाते हैं क्योंकि वेबपोर्टल पर इन बालक-बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण एवं क्रमोन्नति का कार्य नहीं हो पाता है। कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश तो दे दिया जाता है लेकिन इन बालक-बालिकाओं के नामों को आरटीई वेबपोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपडेट नहीं किया जाता है, जिसके कारण सत्यापन रिपोर्ट के प्रिन्ट-आउट में इन बालक-बालिकाओं के नाम नहीं आ पाते हैं तथा यह बालक-बालिकाएँ सत्यापित होने से भी वंचित हो जाते हैं।

उपरोक्त प्रकरणों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के नामों को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करने तथा सत्यापन रिपोर्ट प्रविष्टि की तिथि बढ़ाने की मांग विद्यालयों द्वारा की जा रही है। विद्यालयों द्वारा की जा रही मांग तथा बालक-बालिकाओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था दी जाती है कि निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के नामों को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करने तथा सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि से वंचित विद्यालयों द्वारा अपनी परिवेदना लिखित में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित की जाएगी। परिवेदना के आधार पर परिषद के आरटीई प्रकोष्ठ द्वारा अपने लॉगिन से इन विद्यालयों को निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के नामों को आरटीई वेबपोर्टल पर अपडेट करने तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रविष्टि हेतु वेबपोर्टल पर अनलॉक किया जाएगा जिससे यह विद्यालय अपनी सत्यापन रिपोर्ट को प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर प्रविष्टि कर सकेंगे। इन विद्यालयों की सत्यापन रिपोर्ट को लॉक होने के बाद तीन कार्य दिवसों के अन्दर सम्बन्धित बीईईओ/डीईओ (मा.शि.) कार्यालयों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

भवदीय

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप-सचिव
शिक्षा ग्रुप-5

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है, कि उक्त आदेश के अनुक्रम में वेबपोर्टल पर व्यवस्था करवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी


कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/129

दिनांक:-09/01/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर